International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 5.414 Volume 8, Issue 11, Nov 2021
Website- www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

डिजिटल क्राँति की सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ : महिलाओं के विशेष संदर्भ में

लेखक

पूनम यादव(1) एवं प्रो. सूरज मल शर्मा(2)

[1]शोधकर्ती, शिक्षा विभाग, महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

[2]सह–आचार्य, शिक्षा विभाग, महर्षि अरविन्द विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

प्रस्तावना

स्वामी विवेकानंदः ''जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है, पक्षी के लिए एक ही पंख से उडना संभव नहीं है। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा तथ्य है जिसकी अवहेलना किसी भी समाज, देश के विकास की गति को धीमा कर सकती है और जब इस संदर्भ में भारत की बात आती हो तो यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता है क्योंकि भारतीय महिलाएँ न केवल देश की आधी आबादी है बल्कि उन्होंने बीते दशकों में तमाम बाधाओं के बावजूद आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। पिछले कुछ दशकों में संसद द्वारा बनाए गए कई कानूनों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं ने महिलाओं को कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति प्रदान करने की दिशा में बहुत कुछ किया है। महिला सशक्तिकरण की श्रृंखला में एक नवीन क्राँति का सूत्रपात केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई को ''डिजिटल इंडियाँ'' के साथ किया गया। जिसके माध्यम से महिला वर्ग की हर शासकीय विभाग में पहुँच सुलभ होगी साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नवीन आयाम प्राप्त होगा।

परिकल्पनाएँ

डिजिटल क्राँति से जनसमुदाय विशेषतः महिलावर्ग में उन्नति के आशातित परिणाम प्राप्त होंगे।

© Associationof Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

समंको का प्रकार

यह शोध पत्र पूर्णतः द्वितीयक समंको पर आधारित है। इस शोध पत्र की विश्वसनीयता द्वितीयक समंको पर निर्धारित है।

शोध के उद्देश्य

- महिला सशक्तिकरण की दिशा में शासन की महिला वर्ग हेतु तैयार विभिन्न योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना।
- संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल क्रॉंति) की महत्ता एवं चुनौती को प्रतिपादित करना।

महिला सशक्तिकरण, शौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा ही नहीं अपितु एक बहुआयामी चुनौती भी है। भारत वर्ष के जनसमुदाय विशेषतः महिला वर्ग को सशक्त करने की दृष्टि से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात् ''डिजिटल क्रॉंति'' का सूत्रपात केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई को ''डिजिटल इंडियॉं'' के साथ किया गया। इस कार्यक्रम को सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.ई.आई.टी.वाई) के समग्र समन्वय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। डिजिटल इंडियॉं कार्यक्रम का उद्देश्य विकास के लिए आवश्यक नौ स्तम्भों अर्थात् ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई शासन प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार मे सुधार, ई क्रॉंति– सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी, सभी के लिए सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए आई.टी और अर्लो हार्वेस्ट कार्यक्रमों को बल प्रदान करना है। यदि हम ''डिजिटल इंडिया'' की प्रगति पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि शासन ने इस गत वर्ष में इस कार्यक्रम को साकार करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम की शुरूआत की जिसे ''भारत नेट'' का नाम दिया गया। इसके अन्तर्गत 7.5 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जा रहा है। जनवरी 2016 तक 1,11,645 कि.मी. पर्मानेंटली ल्यूब्रिकेटेड हाई डेन्सिटि पाईप बिछाई जा चुकी है। इन पाइपों के बिना ऑप्टिकल फाइबर केबल को नहीं बिछाया जा सकता। लगभग एक वर्ष में 82,500 कि.मी. आप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जनसमुदाय (विशेषतः महिला वर्ग/उद्यमियों) को ई–हेल्पकेयर, ई–कोर्ट, ई–पुलिस, ई–जेल, ई–प्रोसिक्यूशन की आधारभूत सुविधाएँ प्राप्त होगी, इसके अतिरिक्त सभी सरकारी विभागों तक आम आदमी की पहुँच बढ़ जायेगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है जिसके माध्यम से महिला उद्यमी को नकदी, कर्ज, राहत एवं मोबाइल बैकिंग की सुविधा प्राप्त होगी। इस

प्रकार स्पष्ट होता है कि वर्तमान आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण के आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है और महिला को हर स्तर पर सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेजी के साथ किए जा रहे है। किन्तु यह भी एक कटु सत्य है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड आदि राज्यों में महिला साक्षरता मात्र 55 प्रतिशत से भी कम है। महिला साक्षरता के हिसाब से बिहार सबसे अधिक पिछड़ा है। जहाँ केवल 51 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर है, किन्तु रोजगार के हर चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपनी शक्ति, क्षमता और दूर दृष्टि का परिचय देने वाली ऐसी महिलाओं के नाम उल्लेख करना भी सार्थक होगा जिन्हें रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के शीर्षस्थ पदों पर प्रथम होने का गौरव प्राप्त हुआ। बेगम नसीम इख्तेदार अली (मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहली महिला सदस्य), नजमा हेप तुल्ला (राज्य सभा की पहली उप सभापति) पद्यावती बंद्योपाध्याय (पहली महिला एयर मार्शल), कैप्टन लक्ष्मी सहगल (पहली डॉक्टर सेनानी), डॉ. इंदिरा हिन्दुजा, (पहली परखनी शिशु निर्माता), सुरेखा (भोसले) यादव (पहली महिला रेल ड्राइवर), किरण बेदी (भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी) तथा कल्पना चावला (अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला अधिकारी) आदि, देश की शक्ति की प्रतीक ऐसी महिलाएँ है जिन्होंने यह साबित कर दिखाया कि महिलाएँ पुरूषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता, सूझबूझ और अदम्य साहस से न केवल चुनौतियों का सामना किया है, बल्कि महिलाओं के प्रति पुरूषों की परम्परागत सोच को भी बदलने के लिए अभिप्रेरित किया है।

अतः यह कहना अतिश्योक्ति न होगी कि सामाजिक नेतृत्व में महिलाओं के सक्रिय भागीदारी की परम्परा भारत के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि नई पीढ़ी की भारतीय महिलाओं ने भी इस परम्परा को जीवित रखने में अपनी रचनात्मक क्षमता का जो परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है। सूचना की शक्ति के रूप में जानी जाने वाली अरूणा राय (मजदूर किसान शक्ति संगठन), समाज को समर्पित निर्मला देशपाण्डे (गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता) विस्थापितों की मसीहा मेद्या पाटकर (नर्मदा बचाओं आंदोलन), पर्यावरण की संरक्षक सुनीता नारायण (सेंटर फॉर साइंस एण्ड एन्वायरमेंट) तथा मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास के साथ ही साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में सैयदा सैयदन (मुस्लिम वीमेंस फोरम) संभवतः सबसे अधिक सक्रिय महिलाओं में से एक है। उद्योग, व्यापार और प्रबंधन के क्षेत्र में भी भारतीय महिलाओं ने अपनी चुनौतीपूर्ण दस्तक देकर जिन सफलता के आयामों को छुआ है, वे उनके सशक्त महिला होने का जीता जागता प्रमाण है, इस दिशा में किरण मजूमदार शॉ, शहनाज हुसैन, विद्या मोहन छाबड़िया, सुधामूर्ति, चंद्राकोचर व प्रीति रेड्डी आदि के नाम उल्लेखनीय है।

खेल जगत में भी भारतीय महिलाओं की भूमिका सराहनीय रही है। अनेक कठिनाइयों और खेलों की उपयुक्त सुविधाएँ न होने के बावजूद महिला खिलाडियों ने दुनियाँ में देश का नाम रोशन किया है। पी.टी.उषा, के.एम. बीनामोल व अंजू बॉबी जार्ज (महिला एथलीट), कोनेरू हंपी (शतरंज खिलाडी), अंजलि भागवत (सर्वश्रेष्ठ महिला

निशानेबाज), अपर्णा पोपट (महिला बैंडमिटन खिलाड़ी), डोला बनर्जी (तीरंदाजी), सानिया मिर्जा (सर्वश्रेष्ठ महिला टेनिस खिलाड़ी), मिताली राज (महिला क्रिकेटर) एवं कर्णम मल्ले वरी (महिला वेटलिफ्टर), साक्षी, सिंधु और दीपा आदि महिलाओं ने खेल जगत में अपनी पहचान को स्थापित किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार और रिटेल सरीखे पुरूषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में महिलाएँ उन ऊँचाइयों को छू रही हैं जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रेखा मेनन (लीडर, इंडिया ज्यॉग्राफिक, एक्सेंचर), अमृता गंगोत्रा (चीफ आइटी सॉल्यूशंस, भारती एयरटेल), भारती रमोला (कार्यकारी निदेशक, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स पी.डब्ल्यू.सी.) पद्या रविचंद (प्रबंध निदेशक, पेरॉट सिस्टम्स टेक सर्विसेज), नीलम धवन (निदेशक, सेल्स, माइक्रोसाफ्ट इंडिया) तथा मीना गणेश (सी.ई.ओ. टेस्को हिन्दुस्तान सर्विस सेंटर) इस दिशा में शीर्षस्थ पदों पर काम करने वाली वे महिलाएँ हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कठोर परिश्रम से सफलता के उस मुकाम को छुआ है जो आज की महिलाओं के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है।

वर्तमान आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास तेजी के साथ किए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण की श्रृंखला में एक कड़ी ''स्किल इंडियाँ फ्रेमवर्क'' सम्मिलित किया गया है इसके अतिरिक्त महिला उद्यमी को प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिकोण से ''सपोर्ट टु ट्रेनिंग एण्ड इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम (स्टेप), प्रियदर्शिनी योजना (महिलाओं को प्रभावी स्वयं सहायता समूह से संगठित करने हेतु), स्वाधार गृह/शॉर्ट स्टे होम (पुनर्वास के लिए कौशल विकास) सबला– राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजनाएँ संचालित की जा रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौशल उन्नयन कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है जिसमें महिलाओं और किशोरियों की उपस्थिति अधिक से अधिक हो इसके लिए स्थानीय स्तर पर दोपहर के बैच की व्यवस्था की गई इसके साथ ही विशेष सम्भावनाओं वाले क्षेत्र जैसे– हस्तशिल्प, सिलाई–कढाई, रेशम उद्योग में दक्षता को संवारने के प्रयास किए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को तकनीकी सुविधाएँ और नवीनतम जानकारियों को प्रदान किया जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप महिला उद्यमी को अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक प्राप्त होगा साथ ही भारत की परम्परागत विरासते संरक्षित भी रह सकेगी। यदि हम टेक्सटाइल (कपड़ा) उद्योग पर नजर डालें जो स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में समग्र रूप से विकासशील देशों में एक तिहाई से अधिक और एशियाई देशों में पचास फीसदी तक महिलाएँ हैं। भारत में इस क्षेत्र में श्रम बल की करीब 50.4 फीसदी महिलाएँ हैं। उसी प्रकार देश में 23 लाख बुनकरो में से 80 फीसदी महिलाएँ हैं एवं उत्तरपूर्व के कई राज्यों में रेशम से जुड़ी अलग–अलग गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी 54 फीसदी तक है। अतः यदि हम स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में सफल होते हैं तो इस आँकड़े में वृद्वि के साथ–साथ जनसमुदाय के जीवनस्तर में भी वृद्वि होगी।

यदि हम देश की महिला स्वस्थ्य स्थिति के आँकड़ो पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि महिलाओं में पोषण की कमी देश की एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारे यहाँ

एक तिहाई (35.6 प्रतिशत) महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स (बी.एम.आई.) बहुत कम है। इसके अतिरिक्त हमारे देश की हर तीसरी महिला कुपोशित है और हर दूसरी महिला में खून की कमी है। शासन द्वारा मातृ एवं शिशु कुपोषण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना को सार्वभौमिक और सशक्त बनाया जायेगा। आईसीडीएस बाल्यावस्था में देखभाल और विकास का विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अनूठा आउटरीच कार्यक्रम है। इस में 14 लाख आँगनबाड़ी केन्द्रों के जरिये देश के सभी जिलों और ब्लाकों को कवर किया गया है।

मातृ मृत्यु दर अनुपात (एमएमआर) को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए। इनमें संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी गर्भवती महिलाओं के सीजेरियन सहित मुफ्त एवं सस्ते प्रसव के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), माताओं और बच्चों से संबंधित जच्चा–बच्चा संरक्षण कार्ड, प्रसव पूर्व, प्रसव एवं प्रसव उपरांत देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए जच्चा बच्चा निगरानी प्रणाली, साथ ही उपयुक्त स्तर पर कार्यवाही करने एवं प्रसूती देखभाल की स्थिति में सुधार करने के लिए टीकाकरण सेवा तथा मातृत्व मृत्यु समीक्षा (एमडीआर) शामिल है।

महिला वर्ग के मध्य उत्तम शिक्षा और दक्षता के दृष्टिकोण से कई कार्यक्रम चालू किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में लड़कियों के दाखिले में वृद्वि हुई एवं स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। सीबीएसई ने भी लड़कियों की शिक्षा के लिए उड़ान जैसा कार्यक्रम शुरू किया है। यह एक मेंटरिंग और स्कॉलरशिप योजना है जिसका उद्देश्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के दाखिलों को बढ़ावा और सभी को मुफ्त ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराने के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में गणित और विज्ञान के शिक्षण को बढ़ावा देना है।

महिला सशक्तिकरण के चार मुख्य बिन्दुओं ''स्वास्थ्य'' ''सुरक्षा'' ''शिक्षा'' और ''आर्थिक'' स्वावलम्बन को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016 के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएँ हुई है। ''स्वास्थ्य सुरक्षा योजना'' अप्रत्यक्षतः महिला स्वास्थ्य सुधार में भूमिका निभाएगी। महिला व बाल स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण घटक 'स्वच्छता' हेतु 'स्वच्छ भारत अभियान' में 11,300 करोड़ रूपये मिले है। ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' के लिए भी 100 करोड़ रू. दिए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर और महिला हैल्प लाइन का वित्त पोषण निर्भया निधि के जरिए किया गया है। इन दो योजनाओं में क्रमशः 10.71 करोड़ रूपये और 13.94 करोड़ रू की मंजूरी दी जा चुकी है। स्वयं का छोटा व्यवसाय खोलने वाली महिलाओं के लिए मुद्रा योजना मददगार सिद्व होगी वित्त वर्ष 2016–17 में मुद्रा योजना के लिए 1,80,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है।

© Associationof Academic Researchers and Faculties (AARF)

समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

अर्थव्यवस्था में महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में डिजिटल इंडिया बेशक वेब आधारित विपणन वैश्विक बाजार तक अपनी पहुँच बनाऐगा और व्यापार समुदाय एवं महिला उद्यमियों के बीच संबंधों के विकास में वृद्वि करेगा, किन्तु इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, वित्तीय संसाधन की कमी एवं विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय की समस्या जन्म लेगी, जिसके लिए हमें भविष्य में तैयार रहना होगा इसके अतिरिक्त अन्य चुनौतियाँ भी सामने आऐगी जैसे–

- ब्राडबैंड हाइवे के तहत देश के आखिरी घर तक ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा किन्तु इसमें सबसे बड़ी बाधा नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का प्रोग्राम, जो तीन–चार साल पीछे चल रहा है।
- यह सत्य है कि भारत में मोबाईल फोन उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्वि हुई है यदि हम 28 फरवरी 2015 तक के आँकड़ों को देखें तो स्पष्ट होता है कि देश में कुल मोबाईल फोन उपभोक्ताओं की संख्या 96 करोड़ से अधिक है कुल जनसंख्या के हिसाब से यह आँकड़ा 77.58 प्रतिशत है और इस आधार पर भारत चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है किन्तु यह भी एक कटु सत्य है कि आबादी का अभी भी एक बड़ा भाग मोबाईल फोन क्रय करने में सक्षम नहीं है इस स्थिति में क्या शासन देश में ही सस्ते मोबाईल तैयार कर विक्रय करेगी।
- पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम इसके लिए पीसीओ के तर्ज पर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट बनाए जा सकते हैं। ये पीसीओ आसानी से समस्या का हल कर सकते हैं लेकिन हर पंचायत के स्तर पर इसको लगाना और चलाना बहुत मुश्किल कार्य है।
- ई–गवर्नेंस यानी सरकारी दफ्तरों को डिजिटल बनाना और सेवाओं को इंटरनेट से जोड़ने इसे लागू करने का पिछला अनुभव बताता है कि दफ्तर डिजिटल होने के बाद भी उनमें काम करने वाले लोग डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं।

इस क्षेत्र में रोजगार हेतु आईटी और शीघ्र परिपक्वन कार्यक्रम की एक बड़ी समस्या है क्योंकि इसके लिए सुविधाओं, संसाधनों और कौशल का अभाव है।

सुझाव

- महिलाओं को सशक्त, स्वालम्बन और आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से शासन द्वारा घोषित योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करना चाहिये।
- महिला वर्ग में शिक्षा विशेषतः तकनीकी शिक्षा का प्रशिक्षण सम्मिलित करना चाहिये।
- डिजिटल क्रांति में सबसे प्रमुख समस्या विद्युत की आएगी। अतः हमें चाहिए कि हम विद्युत के वैकेल्पिक प्रयोग (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा) पर भी ध्यान दे।
- महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करने हेतु शासन को चाहिए कि वह शासकीय विभागों में विभिन्न पदों पर महिला उम्मीदवारी को सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष

उपरोक्त शोध पत्र के माध्यम से यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में शासन के प्रयास अत्यंत ही सराहनीय है आवश्यकता केवल महिला वर्ग को स्वयं जागृत होने और स्वयं की शक्ति को पहचाने की है यदि वास्तव में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात् डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सफल होता है तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की एक विशिष्ट पहचान विश्व के समक्ष होगी, यह सत्य है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में कुछ कमियाँ है तथापि इस कार्यक्रम के लाभ एवं सकारात्मक के समक्ष ये कमियाँ बहुत छोटी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल आर.सी. (2006): उद्यमिता, प्रकाशक – साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पृष्ठ संख्या 249–261।
2. कुमार नीरज, कुरूक्षेत्र (मार्च 2007) अंक 5, महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशें, पृष्ठ संख्या 10
3. माथुर एस.पी. (2010): भारत में उद्यमिता विकास, प्रकाशक–हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, पृष्ठ संख्या 89–100
4. डॉ. शर्मा ऋषभ देव, स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम, प्रकाशक–गीता प्रकाशन, रामकोट, हैदराबाद, पृष्ठ संख्या 31–32।
5. प्रो. वशिष्ठ सरिता, महिला सशक्तिकरण, प्रकाशक–कल्पना प्रकाशन, पृष्ठ संख्या 30, 214–220।

6. योजना (अक्टूबर 2006) पृष्ठ संख्या 48
7. योजना (मार्च 2016) पृष्ठ संख्या 63
8. योजना (सितम्बर 2016) पृष्ठ संख्या 7, 11–16, 37
9. मध्यप्रदेश संदेश (मार्च 2015) पृष्ठ संख्या 28, 31, 44, 54
10. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल (अगस्त 2015) पृष्ठ संख्या 30–32
11. रचना (द्विमासिक पत्रिका), अंक 104 सितम्बर–अक्टूबर 2013, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल का समवेत उपक्रम, पृष्ठ संख्या 13
12. रचना (द्विमासिक पत्रिका) अंक 74–75 (सितम्बर–दिसम्बर) म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल का समवेत उपक्रम पृष्ठ संख्या 5–11।

© **Associationof Academic Researchers and Faculties (AARF)**